

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(8)न्याय/2017


जयपुर, दिनांक 03/08/2018

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, तुरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय का नाम परिवर्तित कर कॉलम संख्या 3 के अनुसार निर्धारित करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का विद्यमान नाम	न्यायालय का परिवर्तित नाम
1	2	3
1.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय, सांभरलेक	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय संख्या-1, सांभरलेक
2.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय, परबतसर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय संख्या-1, परबतसर

राज्यपाल के आदेश से


  
3.8.18

(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, जयपुर जिला/नागौर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला/मेड़ता।
9. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय संख्या-1, सांभरलेक/परबतसर।
10. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
11. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
14. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
15. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
17. रक्षित पत्रावली।

  
3-8-18

(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव